प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 16.07.2025

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते आज दिनांक 16.07.2025 को 01 अभियोग मे सजा करायी गयी है।

1. थाना इकदिल

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये लूट करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 - 05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 8000 - 8000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये लूट करने वाले 03 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा 05 - 05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 8000 - 8000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 30.01.2015 को वादी अतुल यादव पुत्र सत्येन्द्र यादव निवासी अड्डा सती थाना इकदिल जनपद इटावा ने थाना इकदिल पर अभियुक्तणों द्वारा असलहो के बल पर वादी के चाचा के ट्रैक्टर को लूट कर ले जाने के संबंध में तहरीर दी। जिसके संबंध में थाना इकदिल पर **मु0अ0सं0 61/2015 धारा 392 भादवि व 10/12 द0प्र0क्षे0 अधि0** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी बनाये रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार का0 भीम चौधरी एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप अभियुक्तों को आज दिनांक 16.07.2025 को अन्तर्गत **धारा 392/411 भादवि व 10/12 द0प्र0क्षे0 अधि0 में मा0 न्यायालय एडीजे-III स्पेशल डकैती कोर्ट जनपद इटावा द्वारा 05 - 05 वर्ष के कारावास व प्रत्येक को 8000 - 8000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **प्रदीप यादव उर्फ भीम यादव पुत्र महावीर सिंह निवासी हरसुख गंगापुरा थाना चौबिया जनपद इटावा।**
2. **विक्रम उर्फ टीटू यादव पुत्र जनमेद सिंह निवासी नगला नरिया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।**
3. **कौशल यादव पुत्र रामबहादुर यादव निवासी नगला नरिया थाना जसवन्तनगर जनपद इटावा।**